संख्या-22/2016/369/41-2016-10 यो0/14

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के बक्सर स्थित पौराणिक स्थल चन्द्रिका देवी एवं डोंडियाखेडा के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2231/6-1-1(434)/2015, दिनांक 02-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में स्थित बक्सर में पौराणिक स्थल चन्द्रिका देवी एवं डोंडियाखेडा के पर्यटन विकास की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोंपरान्त आंकलित लागत रू0 276.40 लाख (रूपये दो करोड छिहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 110.00 लाख (रू0 एक करोड दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-229/41-2014-10 यो0/14 दिनॉक 04.03.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उन्नाव के बक्सर स्थित पौराणिक स्थल चन्द्रिका देवी एवं डोंडियाखेडा के पर्यटन विकास की योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 66.00 लाख (रूपये छाछट लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं निर्माण कार्य नियमानुसार व आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना के कार्य रखरखाव पर आने वाला व्यय-भार राजकोष पर न पडे।
9. योजनान्तर्गत यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-22/2016/369(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, उन्नाव।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ।
9- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in